कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन
उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2024/1651 लखनऊःदिनांक 16 अगस्त,2024

यू0पी0 नीट एम0डी0एस0–2024 के अन्तर्गत तृतीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश

1. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम व द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में किन्ही कारणों से पंजीकरण नही कर सकें है, या पंजीकरण शुल्क जमा नही कर पाये है, वे तृतीय चक्र हेतु ऑनलाईन पंजीकरण कराते हुये पंजीकरण शुल्क रू0 3000/–जमा कर कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग कर सकते है।
2. तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में सीटों का आवंटन तृतीय चक्र की मेरिट सूची के अनुसार ऑल–इण्डिया रैंक के आधार पर होगा।
3. तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की वैकेन्ट/नॉट रिपोर्टेड (Not reported) एवं रिजाईन (Resign) सीटें Clear-cut Vacancy के तौर पर प्रदर्शित होगी।
4. तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में अभ्यर्थियों को Seat Against Cancellation (SAC) का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। SAC सीटें एक प्रकार की Virtual vacancies है, जिसके अन्तर्गत च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी की रिक्त सीटों के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी की सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। आवंटन प्रकिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटों को शासनादेश संख्या–I/687326/2024 दिनांक 09 जुलाई 2024 में निहित तालिकानुसार आमेलित (Merg)करते हुये आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
5. **अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिलिंग के उपरान्त च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है, च्वाईस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आवंटन की प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**
6. प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
7. द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवेश न लेने की दशा में तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग किये जाने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
8. प्रथम व द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा प्रवेशित सीट से यदि त्याग पत्र दिया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की कांउसिलिंग हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
9. अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत् बनी रहेगी।
10. ***अभ्यर्थी द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि पुनरावंटन हेतु पूर्व से प्रवेशित सीट का विकल्प छोडकर ही अन्य विकल्प/च्वाईस भरी जाये, अन्यथा की स्थिति में यदि पूर्व प्रवेशित सीट पुनः आवंटित हो जाती है, तो अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर पूर्व की भांति ही प्रवेश प्रकिया पूर्ण करनी होगी।***
11. तृतीय चक्र की कांउसिलिंग से आवंटन के पश्चात् राजकीय क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रकिया पूर्ण करानी होगी।

12. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु तृतीय चक्र की कांउसिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13. राजकीय क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की कांउसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में पुनरांवटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

14. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नही लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।

15. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training U.P payabe at Lucknow)** के पक्ष में निर्गत हो, संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं का फी–स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** *एवं* ***www.dgme.up.gov.in*** पर उपलब्ध है।

16. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

17. नीट पी0जी0 2024 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 09 जुलाई 2024 एवं ब्रोशर में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही समस्त चक्रों की कांउसिलिंग प्रकिया सम्पन्न करायी जायेगी। अतएव कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने से पूर्व शासनादेश एवं ब्रोशर का स्वयं अवलोकन करें।

18. नीट एम0डी0एस0–2024 कांउसिलिंग संबंधी समस्त अद्यतन सूचनाओं के लिये विभागीय वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** एवं ***www.dgme.up.gov.in*** पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक

संख्या–एम0ई0–3/2024/